Sr. Accountant

UTs or Statutory or Autonomous Organization or PSUs or Universities or Recognised Research Institutes: a) i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or ii) with five years regular service in posts in Level 11 of the pay matrix; and b) Possessing the essential qualifications and experience prescribed as under :- (i) Masters degree in Physics or Applied Physics or Biophysics or Mathematics or Applied Mathematics or Forensic Science or Botany or Zoology or Micro Biology or Chemistry or Biotechnology or Bio Chemistry or Physical Anthropology or Genetics or Pharmacology or Pharmacy or Psychology or Criminology or Computer Science or Electronics or Human Genetics from a recognised University or Institute. OR B.E or B.Tech in (Biotechnology or Civil or Electrical or Mechanical or Electronics or Telecommunications or Computer Science or Instrumentation) or Computer Science and Engineering (CSE) or Electronics and Communications Engineering (ECE) or Information Technology or Electrical and Electronics Engineering (EEE) from a recognised University or Institute. (ii) Ten years experience of analytical work and research therein in any forensic science laboratory/scientific laboratory/recognised research institute under Central or Union Territory or State Government, out of which at least eight years experience should be in Forensic science laboratory. **Note :** The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The Maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications.		

[F. No. DFSS/04(04)/2019]

NARENDER KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि. 117.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय में ज्येष्ठ लेखाकार, (समूह ख पद) पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, ज्येष्ठ लेखाकार (समूह -ख पद) भर्ती नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगें ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या ,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति ओर विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी ,जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए, आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ लेखाकार	03* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय ।	स्तर.7(44900-142400/- रु)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) 67 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा; (ii) 33 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति / प्रोन्नति द्वारा;

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन : (क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारे या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी: i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप सद्रश पद धारण किए हुए हैं ; या ii) वेतन मैट्रिक्स स्तर 06 (35400-112400/- रु) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो ; या (ख) निम्नलिखित विहित अर्हता रखते हो : (i) केंद्रीय सरकार के संगठित लेखा विभागों में से किसी एक द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखा परीक्षा / लेखा सेवा परीक्षा या समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण। (ii) सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान द्वारा संचालित नकद और खातों में सफल प्रशिक्षण का समापन या समतुल्य पाठ्यक्रम में सफल प्रशिक्षण; और नकद, लेखा और बजट कार्य में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण-1** : न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय में विभागीय कनिष्ठ लेखाकार जिन्होने वेतन मैट्रिक्स स्तर 06 (35400-112400/- रु) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष की सेवा की है और प्रतिनियुक्ति व्यक्ति के लिए निर्धारित विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हो। ऐसे कार्यकारी कनिष्ठ लेखाकार पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसे पद पर नियुक्ति के लिए चयन जाता है, तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। **टिप्पण-2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रिय	लागू नहीं होता	आवश्यक नही।